पश्चिम मध्य रेल

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक–31.12.2015

सीआई ओ/आईटी सेल/मुख्यालय
पश्चिम मध्य रेल/जबलपुर

विषय–माह नवम्बर–2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

*****

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई–मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/– 05 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त, अभियोजन
रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	46	46	119213	119213	99	00	00

बुकशुदा रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	02	02	8000	8000	02	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह नवंबर -2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
नवंबर -2015	48	48	127213	127213	101	00	00

धारा	दर्ज प्रकरणों की संख्या	जुर्माना स्वरूप वसूली गई राशि
137	3276	1890063
138	21852	10010591
139	0	0
141	409	97830
142	0	0
143	3	0
144	1235	438360
145	993	118750
146	8	3900
147	394	37900
153	0	0
154	8	28000
155	924	59050
156	247	24400
157	0	0
159	822	131800
160	10	0
161	0	0
162	665	32400
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	17	650
172	0	0
173	0	0
174	19	26500
175	0	0
176	0	0
180(g)	0	0
Total	**30,882**	**1,29,00,194**

रेल अधिनियम के तहत माह नवम्बर 2015 में की गई कार्यवाही का विवरण

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

क.	अच्छे कार्यो का विवरण
1.	दिनांक 02.11.15 को सउनि विशनलाल भार्मा को रेलवे स्टेशन सवाईमाधोपुर के प्लेटफार्म नं.1 पर दौराने गस्त एक लावारिस बालक नाम अब्दुल रहमान पुत्र मो0 आजाद, उम्र–13 वर्ष, निवासी–केला बावडी, अजमेर (राज0) घुमता हुआ मिला। बच्चें को समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत चाइल्ड लाईन सवाईमाधोपुर के सुपुर्द किया गया।
2.	दिनांक 04.11.2015 को उपनिरीक्षक अजीत सिनसिनवार रेल सुरक्षा बल भोपाल पोस्ट हमराह स्टाफ आरक्षक इन्दर सिंह यादव, आर. राहुल रधुवंशी के साथ गस्त के दौराने प्लेटफार्म नं. 01 मुसाफिरखाना के पास बैग स्कैनर ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षक गीता बाई द्वारा सूचना दी गई कि बैग स्कैनर में 02 संदिग्ध बैग को चैक किया जिसमें बैग वाले व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहे है। पूंछताछ करने पर उसके बैग से गांजे सी गंध आ रही थी इस पर एक व्यक्ति भागने लगा तब वहां पर मौजूद जीआरपी उपनिरीक्षक दण्डोतिया एवं उनके हमराह स्टाफ के समन्वय से उक्त व्यक्ति को पकडा एवं पूंछतांछ करने पर उसने अपना नाम संतोष पुत्र श्रीप्रकार उम्र 38 वर्ष जाति बलाई निवासी 146, हरीजन मोहल्ला जिला धार म.प्र. बताया। बैग में रखा सामान संदिग्ध प्रतीत होने पर समय 17.50 बजे समक्ष गवाहान उक्त व्यक्तियों के समक्ष बैगों को खुलवाकर चैक किया गया, उसमें गांजा मादक पदार्थ निकला वजन करने पर 11 कि.ग्राम 500 ग्राम जिसकी कीमत लगभग 55000/–रू. आंकी गई। मामला NDPS ACT का पाये जाने पर जीआरपी भोपाल उपनिरीक्षक पी.डी.दण्डोतिया द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र0 0/2015 धारा 8/20 NDPS ACT दिनांक 04.11.2015 के तहत दर्ज कर मामला जांच में लिया गया, मामले की जांच जीआरपी भोपाल द्वारा की जा रहीं है।
3.	दिनांक 05.11.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी स्टेशन से उपनिरीक्षक श्वेता सूर्यवंशी साथ आरक्षक बसंत पटेल को इटारसी स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 01 के मुम्बई छोर पर एक बच्चा घूमते हुये नजर आया, पूंछतांछ करने पर बालक ने अपना नाम मो0 शहनवाज पुत्र शाबिर खान उम्र 13/14 वर्ष लगभग निवासी ग्राम जलोद थाना मनीहारी जिला मुज्जफरपुर बिहार बताया तथा 10–12 दिनं पहले घर से बिना बताये अलग–अलग गाडियों में बैठकर यहां पहुच गया। बाद उक्त बालक को इटारसी में जीवेदय संस्था में सुपुर्द किया गया।
4.	दिनांक 05.11.2015 को गाडी सं. 59833 डा में तैनात रेसुब इस्कोट पार्टी प्र.आर. रामचरण मीना, आर. महेन्द्र मीणा व आर. सरदार सिंह द्वारा माडलगढ़ स्टेशन पर चलती गाड़ी से यात्री का एक बैग छीनकर भाग रहे एक लडके नाम राजेश पुत्र चन्दन सिंह, उम्र 22 वर्ष निवासी बटादा, जिला– बांरा को पकडा जिसने बताया कि उसके 02 साथी अन्धेरे को फायदा लेकर भगाने में सफल हो गये है। बाद रेसुब पार्टी द्वारा उक्त पकडे गये लडके को जीआरपी थाना चितोडगढ़ को अग्रिम कार्यवाही हेतु सुपुर्द किया गया। जहॉ जीआरपी थाना चितोडगढ़ द्वारा अ.क्र. 137/15 धारा 107,151 CrPC dt. के तहत कार्यवाही की गईं।
5.	दिनांक 07.11.2015 को गाडी संख्या–12942 के कोच नं. एस/6 के यात्रियों ने कोटा पोस्ट पर जाकर सूचना दिया कि उक्त कोच में एक बैग लावारिस हालत में रखा हुआ है। सउनि कोटा पोस्ट धर्म सिंह द्वारा उक्त बैग को लेकर कोटा पोस्ट पर आये जिसे पंचों के समक्ष खोलने पर उसमे 28 नग लेडिस भाूट, 02 नग सीले हुये लेडिस भाूट मिले जिसे एलपीओ में लॉट नं. 178/01 दिनांक 07.11.2015 के तहत जमा कराया गया।
6.	दिनांक. 08.11.15 को गाडी सख्या 12722 में अनुरक्षण डियूटी के दौरान रेसुबल पोस्ट भोपाल से प्रधान आरक्षक सलीम खान ने मोबाईल पर प्रधान आरक्षक श्री शेखीराम को सूचना दी कि एक यात्री जिसका नाम विशाल चौधरी, निवासी– नई बस्ती, विदिशा मो0न0– 07828016701 का बैग गाडी में छूट गया है। सूचना के आधार पर बैग तलाश किया गया। तलाशी करने पर बैग कोच न0 एस 08 में बर्थ न0 07 पर रखा मिला। प्रधान आरक्षक श्री शेखीराम ने उक्त बैग की तलाशी ली। बैग में 4000/– रूपये नगद व स्कूल के कागजात मिले। उक्त सामान की सूचना के आधार पर मिली जानकारी से मिलान किया गया सही पाये जाने पर बैग को अपने स.उ.नि. श्री हरगोविन्द दास साहब के तावे में मय रूपये के बैग उक्त यात्री को सुपूर्द किया गया।
7.	दिनांक 10.11.2015 को गाडी सं. 19024 अप की सुरक्षा पार्टी में तैनात प्र.आर. फूल सिंह मय स्टाफ को एक लडकी नाम गोल्डी पुत्री गुलाब उम्र–11 साल जाति–यादव निवासी–तालाब के किनारे, रायबरेली को सउनि धर्मपाल सिंह को सुपुर्द किया गया जिस पर सउनि धर्मपाल सिंह द्वारा उक्त लडकी को बच्चों का अपना घर, हिण्डौन सिटी को सुपूर्द किया गया, दिनांक 11.11.2015 को बच्चों का अपना घर, हिण्डौन सिटी द्वारा वापस

	आउट पोस्ट हिण्डौन सिटी को लौटा दिया गया। सउनि हिण्डोनसिटी द्वारा उक्त लडकी को रेसुब पोस्ट भरतपुर लाया गया जहां उपस्थित उपनिरीक्षक बब्बन लाल द्वारा लडकी को सुपूर्दगीनामा के तहत चाईल्ड हैल्प लाईन भरतपुर को सुपूर्द किया गया।
8.	दिनांक 12.11.2015 को गाडी संख्या–12918 के कोटा पहुॅचने पर उसके यात्रियों द्वारा दो लावारिस बालक नाम 1. राहुल पुत्र रामनरे ा, उम्र–7 वर्श, निवासी–तिगडी नई दिल्ली 2. नितिश पुत्र रामकुमार, उम्र–5 वर्ष, निवासी–तिगडी नई दिल्ली को रेसुब पोस्ट पर दिया जिसे सउनि दीप सिंह द्वारा समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत चाईल्ड लाईन कोटा के प्रतिनिधि को सकुशल सुपुर्द किया।
9.	दिनांक 16.11.2015 को समय करीबन 22:00 बजे सेक्शन पेट्रोलिंग डियूटी के दौरान भोपाल पोस्ट के आरक्षक पी.एम. शर्मा एवं आरक्षक बृजेंद्र सिंह द्वारा सूखी सेवनियॉ स्टेशन पर एक लड़की जिसका नाम पूनम अहिरवार पुत्री दुर्गा प्रसाद उम्र 15 वर्ष निवासी–भारती चंदानी के मकान में किराये से सिन्धी कालोनी बैरागढ़ को भगाकर ले जा रहे (1) मोनूनाथ पुत्र बाबूनाथ उम्र 21 वर्ष निवासी–उदयपुर इंद्राकालोनी घटेरा रोड पुलिस थाना–गंजवासौदा जिला–विदिशा म.प्र. (2) नरेश बाल्मीकी पुत्र मुकेश बाल्मीकी, उम्र 22 वर्ष निवासी–उदयपुर इंद्राकालोनी घटेरा रोड पुलिस थाना–गंजवासौदा जिला–विदिशा म.प्र. को पकड़कर सिविल पुलिस बैरागढ़ को दिये गये जहॉ पर अ.क्र. 540/15 आईपीसी की धारा 363 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। अतः उपरोक्त दोनों आरक्षकों द्वारा अपनी डियूटी से हटकर उक्त सराहनीय कार्य किया गया है।
10.	दिनांक 16.11.2015 को गाडी संख्या–12926 के यात्रियों द्वारा सउनि/सवाईमाधोपुर रामलखन यादव को सूचना मिली कि विकलांग कोच में एक लावारिस बैग पडा है। सूचना पर सउनि सवाईमाधोपुर द्वारा बैग को उतरवाकर पोस्ट पर लेकर आये जिसे पंचों के समक्ष खोलकर देखने पर उसमे आधार कार्ड, पेन कार्ड, रोडवेज का कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, विकलांग कार्ड पास, तीन मोबाईल एवं अन्य सामान मिला जिसे बाद में समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत उक्त बैग मालिक को सुपुर्द किया गया।
11.	दिनांक 17.11.2015 को सउनि शिवराम सिंह को सवाईमाधोपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 3 पर दौराने गस्त एक बालक नाम नरेश पुत्र चेतराम, उम्र–10 वर्श, जाति–गुर्जर, निवासी–रईथा खुर्द, थाना–मलारना, जिला–सवाईमाधोपुर (राज0) घूमता हुआ मिला। उक्त बच्चें को समस्त कार्यवाही कर उसके पिता को सकु ाल सुपुर्द किया गया।
12.	दिनांक 17.11.2015 को गाडी सं. 12952 में कोटा से रतलाम तक तैनात रेसुब इस्कोर्ट पार्टी इन्चार्ज सउनि श्री महाराज सिंह ने सूचना दी कि उक्त गाडी के कोच सं. बी/6 में नई दिल्ली से मुम्बई तक बर्थ सं. 09 से 11 व 13 से 16 तक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही महिला यात्री श्रीमति दक्षा वेद उम्र –53 वर्ष निवासी–बी/501 ने शिकायत की भाामगढ से नागदा के मध्य समय करीबन 22.45 बजे बर्थ सं. 12 के अन्य यात्री श्री शिव कुमार अग्रवाल उम्र– 45 वर्ष निवासी–डी अपार्टमेन्ट बडोदा ने उसका पैर पकडा व छेड़छाड़ किया। गाड़ी में तैनात टीटीई श्री आर.एस.सैनी द्वारा उक्त यात्री श्री ि ाव कुमार अग्रवाल व उसके पुत्र चिराग उम्र 16 वर्ष को नई दिल्ली से बडोदा तक को बिना टिकट कोच में बैठा कर ले जा रहा था तथा उक्त व्यक्ति श्री ि ावकुमार भाराब के नशे में था एवं छेडछाड की घटना होने पर टीटीई द्वारा उक्त व्यक्ति की रू 4200 4200 की म्थ्ज् छवण् 616741 – 616742 बनाई गई। इस सम्बन्ध पीडित महिला यात्री ने टीटीई श्री आर.एस. सैनी की भी ि ाकायत करते हुए उसके विरूद्ध कार्यवाही की मांग की गई है। गाड़ी के रतलाम स्टे ान पर पहुॅचने पर जीआरपी सउनि एम.एस.रावत व रेसुब उप निरीक्षक विपिन व सउनि य ापाल चाहर द्वारा पीडित महिला यात्री को अटेण्ड करने पर पीडित महिला यात्री ने शिकायत मय बयान के जीआरपी को दिया गया। जीआरपी सउनि एम.एस.रावत व रेसुब सउनि यशपाल चाहर अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त गाड़ी में बडोदा तक गये एंव कार्यवाही कर वापस जीआरपी सउनि एम.एस.रावत द्वारा यात्री श्री शिव कुमार अग्रवाल पुत्र के विरूद्ध GRP /Kota CR – 331/15 U/S 354 IPC dt 18.11.2015 दर्ज किया।
13.	दिनांक 18.11.15 सउनि महेश प्रसाद मिश्रा रेसुब/मदन महल स्टेशन पर तैनात थे। प्लेट फार्म नं 1 आटो स्टैंड के पास खड़े एक व्यक्ति पर संदेह होने पर उससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सचिन वर्मा पिता –सुरेश वर्मा उम्र 22 वर्ष निवासी–माली मोहल्ला काली मठ, थाना–मदनमहल, जिला– जबलपुर बताया एवं तलाशी लेने पर उसके पास से दो तत्काल टिकट (1.) पी.एन.आर –6446669775, रू.–1280/–, S/L बर्से गाड़ी–12150 अप दि.20.11.15 (2.) पीएनआर–8641504147, रू.– 585/–,S/L बर्से गाड़ी संख्या–11464 दि.19. 11.15, एक भरा हुआ फार्म AC/II का , एक पुराना रिलायंस कंपनी का मोबाइल तथा 320/– रू नगद प्राप्त हुआ। आरोपी के विरुद्व अक्र. 8165/15 धारा 143 रेल अधिनियम, मामला कायम किया गया।

14.	दिनांक 19.11.2015 को सउनि/कोटा पोस्ट बसंत कुमार भार्मा ने दौराने गस्त कोटा स्टे ान के प्लेटफार्म नं. 1 से एक बालक विनोद यादव पुत्र करण यादव, उम्र–14 वर्ष, निवासी–नाथ मन्दिर के पास, थाना–बालकपुर, जिला–दमोह (म0प्र0) को लावारिस हालत में घूमता हुआ मिला। जिसे समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत उत्कर्श संस्थान कोटा के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया।
15.	दिनांक 20.11.2015 को रेसुबल पोस्ट भोपाल स्टेशन से सउनि श्री आर.के.बौरासी, को दिनांक 20.11.2015 को ट्रेन नं. 18238 में एक बालक जिसका नाम–सचिन अहिरवार पुत्र जगन्नाथ उम्र 11 वर्ष निवासी–मॉ हास्पिटल आर्शिबाद गार्डेन के पास विदिशा म.प्र. मिला, जिसे उसके पिता को बुलाकर सुपुर्द किया गया।
16.	दिनॉक 21.11.15 को समय 15.25 पर भोपाल स्टेशन पीएफ न.02 पर गाड़ी न.11057 के आगमन पर एक व्यक्ति एक यात्री का पर्स चोरी कर भागा जिसे रेसुबल पोस्ट भोपाल स्टेशन के सउनि आर.के.बोरासी व अपराध की रोकथाम हेतु लगाई गई, मंडल टीम उप.नि. वीरेंद्र सिह हमराह स्टाफ के द्वारा पकडा गया,पकडे गये आरोपी ने अपना नाम मंसूर खॉ वल्द मोहम्मद खॉ उम्र 45 निवासी म.न.123 वार्ड न.13 सर्वहारा कालोनी नसरूललागंज जिला सिहोर को फरयादी कुमार गोविंद वल्द विजय कुमार राउत उम्र 22 साल निवासी चेतन पुरी जे 22 राजेंद्र के मकान में ग्वालियर का पर्स जिस में 700/रू नगद एवं दो अन्य पर्स जिस में 3000/रू नगद मिले। जीआरपी भोपाल द्वारा आरोपी के खिलाफ अ.क्र 1071/15 धारा 379 आईपीसी दिनॉक 21.11.2015 को दर्ज किया गया।
17.	दिनांक 21.11.2015 को उनि/सवाईमाधोपुर सुनीता जाट मय स्टाफ ने महिला वाहिनी अभियान के दौरान कोटा स्टे ान के प्लेटफार्म नं. 2 से एक बालिका ज्योति पुत्री चन्द्र ोखर, उम्र–17 वर्श, निवासी–जिला अस्पताल छीपीटोला आगरा (उ0प्र0) को लावारिस हालत में घूमते हुये मिली। जिसे समस्त कानूनी कार्यवाही उपरांत उसके परिवार को सुपुर्द किया।
18.	दिनॉक 26.11.15 को गाडी संख्या 12541 की अनुरक्षण पार्टी मे रेसुबल रिजर्व पोस्ट के सउनि पी.एन.तिवारी व आरपीएसएफ की महिला आरक्षक ज्योति कुमारी के द्वारा एक व्यक्ति को जिस का नाम शमीर वल्द श्री ए.के. इमतियाज उम्र 21 निवासी एच –9 सेक्टर ए सोनागिरि भोपाल मोबाईल न.9425604388 जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त जैसा या मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने के कारण लाकर दिया गया बाद उक्त व्यक्ति से जानकारी प्राप्त कर उस के माता पिता एवं मामा को सुचित किया गया एवं उचित देखरेख के साथ बैठाया गया,उक्त व्यक्ति की माता श्रीमति समीरा व मामा श्री इमरान तथा अंकल डा.पी.एन.सोनी मोबाईल न. 9926401918, 09425604388 के इटारसी स्टेशन पर आने पर समक्ष गवाहन सुपुर्द किया गया।
19.	दिनांक 29.11.2015 को गाडी सं. 19024 अप की सुरक्षा पार्टी प्र.आर. मोहन सिंह मीना मय स्टाफ द्वारा दौराने गस्त कोच नं. एस/2 में बैठे यात्रियों द्वारा बताये जाने व टीटीई होम चन्दु शर्मा द्वारा लिखित सूचना दिये जाने पर लावारिस सामान को जिसमें 12 बोतल भाहद जैसा पदार्थ भरा था। गाडी के कोटा स्टेशन पहॅुचने पर एलपीओ कोटा में सीपीएस कोटा को लॉट नं. 186/1 दिनांक 30.11.2015 के तहत जमा किया गया।

-----000-----